दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 13 नवंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-07, अंक- 45

महत्वपूर्ण एवं खास

(ग्रेटर नोएडा)ग्रेटर नोएडा : पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा ,12 नवंबर (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिसमें दो बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल होने के बाद गिरफ्तार हुआ है। जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पकड़े जाने के बाद उनके पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है और जल्द ही कुछ बड़े खुलासे भी करने वाली है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 12 नवंबर को थाना बिसरख पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नया हैबतपुर चौकी क्षेत्र गौर सिटी 2 पर बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद बदमाश मोनू यादव को घायल अवस्था में तथा अन्य दो बदमाश मुकेश और पवन को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया हैं। बदमाशों के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है।

(रोम)करीब 250 यात्रियों को ले जा रहे विमान ने इंजन में लगी आग

रोम ,12 नवंबर । हैनान एयरलाइंस द्वारा संचालित 'बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर' विमान को इंजन में आग लगने के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद रोम के फिउमिसिनो एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शेन्ज़ेन, चीन जा रहे इस विमान में 249 यात्री और 16 चालक दल के सदस्य सवार थे। इटली के कोस्ट गार्ड के अनुसार, आग संभावत: पक्षी के टकराने के कारण लगी थी, जो एविएशन में एक आम घटना है, खासकर उड़ान भरने या उतरने के दौरान पक्षी विमान से टकराते हैं। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

एक बयान में, हैनान एयरलाइंस ने इस असुविधा के लिए माफी मांगी और कहा कि पक्षी का टकराना इस घटना का कारण हो सकता है। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को कई विकल्प प्रदान करने की सूचना दी, जिसमें अपनी यात्रा जारी रखने वालों के लिए वैकल्पिक उड़ानें और अपनी योजना कैंसिल करने वालों के लिए धनवापसी या मुआवजा शामिल है।

(गाजा)गाजा में इजरायली बमबारी में 25 लोगों की मौत

गाजा ,12 नवंबर । मध्य गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में इजरायल की भारी बमबारी के कारण कम से कम 25 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। दक्षिण गाजा पट्टी में विस्थापित लोगों के लिए लगाए गए एक तंबू पर हमले में भी पांच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं।

फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम को दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस के पश्चिम में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक तंबू को निशाना बनाकर इजरायली बमबारी के दौरान कम से कम पांच लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

इसके अलावा समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अल-नुसेरत शरणार्थी शिविर में एक अन्य हमले में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। अल-अवदा अस्पताल ने इस हमले की पुष्टि की है, और अस्पताल के अनुसार, पानी की टंकियों पर हमला होने से कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। अस्पताल के प्रशासनिक भवन को भी ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा है।

अस्पताल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा की अपील की है, क्योंकि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

यूपी में दर्दनाक हादसा, मिट्टी की ढाय में दबने से 4 की मौत

❐ राहत एवं बचाव कार्य जारी

कासगंज । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां कस्बा मोहनपुरा में मिट्टी की ढाय में दबकर चार लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मिट्टी में दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई। गड्ढा इतना गहरा था कि महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। इसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

जानकारी के मुताबिक, यहां पर बच्चे और महिलाएं मिट्टी लेने आए हुए थे। तभी मिट्टी का ढाय अचानक से गिर गया। मिट्टी के नीचे करीब 20 महिलाएं और बच्चे दबे हुए हैं। मिट्टी की ढाय बहुत खोखली थी। जब बच्चे और महिलाएं मिट्टी खोद रहे थे, तभी वो इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

घटना के बाद महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। उपचार के दौरान एक महिला को मृत भी घोषित कर दिया गया।

मृतकों की पहचान रामबेटी (32) पत्नी दान पाल निवासी रामपुर, प्रेम देवी (35) पत्नी गंगा प्रसाद निवासी रामपुर, सरस्वती (33) पत्नी रघुवीर निवासी रामपुर, पिंकी (12) पुत्री मानपाल निवासी रामपुर के रूप में हुई है।

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, विधायक हरिओम वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी मौके पर पहुंच गए हैं। वो इस घटना के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं।

चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस घटना के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह लोग मिट्टी लाने के लिए गए थे। कोई फंक्शन होता है , उसमें हिस्सा लेने के लिए यह लोग मिट्टी लेने गए थे। तभी दीवार गिरने से यह लोग हादसे का शिकार हो गए। हमारे यहां अब तक 9 लोगों को लाया गया है। जिसमें से चार महिलाओं की मौत हो गई है और पांच लोग खतरे से बाहर हैं। इसमें से दो लोगों को हमने अलीगढ़ रेफर कर दिया है। बाकी का इलाज यहां चल रहा है।

वहीं, ग्रामीण हेमलता ने इस घटना के बारे में कहा, हम लोग मिट्टी खोदने के लिए गए थे। ढाय दब गया। 10 -12 लोग थे। कुछ दब गए। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई।

एक और ग्रामीण किशनलाल ने कहा, पुलिया बन रही थी। इस वजह से गड्ढा किया गया था । कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे। तभी यह लोग हादसे का शिकार हो गए जिसमें 15-20 लोग दब गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को संज्ञान में लेने के बाद शीर्ष अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि हादसे का शिकार हुए लोगों के उपचार में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। इसके अलावा, हादसे का शिकार हुए लोगों को उचित सहायता दिए जाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है।

कंटेनर से टकराने के बाद पेड़ में घुसी कार, छह युवक-युवतियों की मौत

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड के देहरादून में एक सडक़ हादसे में छह युवक-युवतियों की मौत हो गई। कंटेरनर से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हादसा कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी चौक के पास देर रात हुआ। इनोवा कार पहले कंटेनर और फिर पेड़ से टकरा गई। पुलिस के अनुसार, कार किशननगर चौक से रही थी और ओएनजीसी चौक पर कार ने कंटेनर को टक्कर मारी। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर के पीछे कार का बोनट ही चिपक गया। इसके बाद कार गलत दिशा में करीब 100 मीटर पर एक पेड़ से टकराई।

हादसे में कार सवार छह युवक-युवतियों की मौत हो गई। हादसे में कुछ के शरीर के चिथड़े उड़ गए। मृतकों की पहचान गुनीत उम्र 19 वर्ष निवासी जीएमएस रोड, कुणाल उम्र 23 वर्ष वर्तमान निवासी राजेन्द्र नगर मूल निवासी चंबा हिमाचल प्रदेश, नव्या गोयल उम्र 23 वर्ष निवासी तिलक रोड, अतुल अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी कालिदास रोड, कामाक्षा उम्र 20 वर्ष निवासी कांवली रोड और ऋषव जैन निवासी राजपुर रोड के रूप में हुई है। सिधेश अग्रवाल उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल है।

ईडी की बड़ी कार्यवाई : झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है मामला

कोलकात्ता । आरएनएस

ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। मामला झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की। बता दें एजेंसी ने सितंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया था, जिससे कथित तौर पर काले धन की सप्लाई हुई।

पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर इस तरह की घुसपैठ में मदद करने का आरोप लगाया है, जिससे हालिया चुनाव अभियान के दौरान संथाल परगना और कोल्हान इलाकों के आदिवासी बहुल इलाकों के डेमोग्रेफिक लैंडस्केप में बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण बुधवार को 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होगा।

सीजेआई बनते ही एक्शन मोड में जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए लागू की नई व्यवस्था

नई दिल्ली । आरएनएस

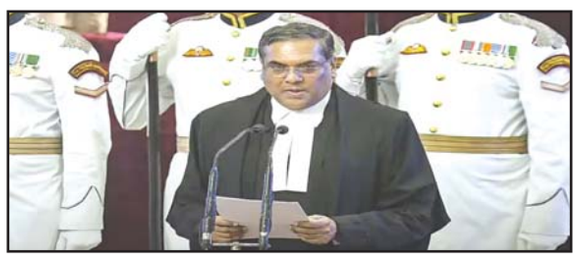

सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीव खन्ना ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण बदलाव का आदेश दिया। उन्होंने अदालत में मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अब से इसके लिए ई-मेल या लिखित आवेदन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है।

अब तक, वकील सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की शुरुआत में सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के सामने अपने मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक रूप से उल्लेख करते थे। जस्टिस खन्ना ने इस परंपरा को बदलते हुए कहा, अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ई-मेल या लिखित पत्र के माध्यम से ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें वकीलों को तुरंत सुनवाई की आवश्यकता का कारण स्पष्ट करना होगा।

यह कदम जस्टिस खन्ना के न्यायिक सुधारों के तहत लिया गया है, जो नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और समान व्यवहार की दिशा में है। इससे पहले, पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में वकीलों को मौखिक उल्लेख की सुविधा दी गई थी, जिसका उपयोग आमतौर पर गिरफ्तारी से जुड़े मामलों या पुलिस की कार्रवाई में राहत प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेने के एक दिन बाद जस्टिस खन्ना ने यह नया कदम उठाया। 10 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हुआ था, और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को उन्हें 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी।

श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों किया गिरफ्तार

❐ अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने का लगाया आरोप

चेन्नई । आरएनएस

श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में तमिलनाडु के 12 मछुआरों को परुथुराई के पास गिरफ्तार किया है।

तमिलनाडु के तटीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया गया।

यह गिरफ्तारी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के सार्वजनिक बयान के कुछ समय बाद हुई है।

दिसानायके ने भारतीय मछुआरों द्वारा कथित तौर पर द्वीप राष्ट्र के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकडक़र श्रीलंका के समुद्री संसाधनों को नष्ट करने के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

राष्ट्रपति ने इस तरह की घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

इस घटना से दो दिन पहले, श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम से 23 तमिल मछुआरों को हिरासत में लिया था और तीन मोटर नावों को जब्त कर लिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इससे पहले 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की थी।

सीएम स्टालिन के मुताबिक 128 तमिल मछुआरे वर्तमान में श्रीलंका में न्यायिक हिरासत में हैं और 199 मछली पकडऩे वाली मोटर नावों को जब्त कर लिया गया है।

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास ने भी केंद्रीय विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों की लगातार बीच समुद्र में की जा रही गिरफ्तारियों पर ध्यान देने की अपील की।

हाल ही में श्रीलंका की यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और आगे की गिरफ्तारियों और नावों की जब्ती को रोकने के उपायों की वकालत की।

इन बार-बार की गिरफ्तारियों के जवाब में, तमिलनाडु भर में मछुआरा संघ के नेता बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

तमिलनाडु मीनावर पेरावई के महासचिव थजुधिन ने कहा कि तटीय जिलों में मछुआरा संघ इन लगातार हिरासतों के खिलाफ एकजुट रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे मछुआरों की आजीविका खतरे में है। मछली पकडऩे और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहने वाले हजारों लोग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मछुआरों और उनके परिवारों में समुद्र में जाने को लेकर डर की भावना घर कर गई है।

थजुधिन ने आगे कहा कि नई श्रीलंका सरकार तमिल मछुआरों से जब्त की गई मछली पकडऩे वाली मोटर नावों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कार्रवाई मछली पकडऩे के उद्योग को तबाह कर सकती है, क्योंकि कई मछुआरों ने इन महंगी नावों को खरीदने के लिए कर्ज लिया था, वे अपनी मछली पकडऩे की आय से इस चुका रहे हैं।

आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीमकोर्ट से भरत इंदर सिंह चहल को राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक; पंजाब सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली । आरएनएस

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याची पर दंड योग कार्रवाई न की जाए। साथ ही चहल को कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग दें। वहीं, पंजाब सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 25 अक्टूबर को उनके खिलाफ पटियाला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।

चहल के वकील की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 76 वर्षीय चहल कई तरह की बीमारियों से पीडित हैं। साथ ही जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें विजिलेंस के मुताबिक मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक चहल और उसके पारिवारिक सदस्यों की आय 7,85,16,905 रुपए थी। जबकि 31,79,89,011 रुपए खर्च किए गए, जो आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 305 फीसदी अधिक है। आरोप हैं कि भरत इंदर सिंह चहल ने अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कई संपत्ति बनाई।

योगी सरकार ने 14 लाख गर्भवती महिलाओं को दी निजी केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सौगात

लखनऊ । आरएनएस

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को सुगम, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार अहम कदम उठा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले साढ़े सात वर्ष में प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने कभी बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी के तहत योगी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

अब तक 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदेश के किसी भी जिले के इम्पैनल्ड निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उन्हें सुविधा का लाभ उठाने के लिए भटकना न पड़े।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में, उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ ही पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को पीपीपी मोड पर फ्री अल्ट्रासाउंड के लिए ई-रुपी वाउचर की सुविधा फरवरी 2023 से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर दी जा रही है।

मिशन निदेशक ने बताया कि सुविधा का लाभ देने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1,861 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को इम्पैनल्ड किया गया है। शासन द्वारा अब तक गर्भवती महिलाओं को 14,50,238 ई-रुपी वाउचर जारी किए जा चुके हैं। वहीं, गर्भवती महिलाओं द्वारा 6,81,341 ई-रुपी वाउचर का लाभ उठाया जा चुका है।

गर्भवती महिलाएं एक माह तक जारी ई-रुपी वाउचर का लाभ उठा सकती हैं। इसके बाद यह स्वत: कैंसिल हो जाता है। वहीं गर्भवती महिला द्वारा समय सीमा में लाभ न उठा पाने पर वह दोबारा ई-रुपी वाउचर प्राप्त कर सकती हैं।

मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर गर्भवती महिलाओं को जिला महिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, सीएचसी के साथ पीएचसी पर हर माह की 4 पीएमएसएमए दिवसों क्रमश: 1, 9, 16 और 24 तारीख को ई-रुपी वाउचर जारी किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुविधा का ज्यादा लाभ देने के लिए अभियान और प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर आशा कार्यकत्रियों द्वारा घर-घर जाकर सुविधा के बारे में बताया जा रहा है।

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी शिवकुमार ने बताया- बाबा सिद्दीकी नहीं मिले तो बेटे को उड़ा देने का था ऑर्डर

मुंबई । आरएनएस

बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम उर्फ शिव ने एसटीएफ और मुंबई पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। 25 साल से कम उम्र के शिवकुमार ने खुलासा किया है वह बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारने के बाद भीड़ भरे इलाके में डेढ़ घंटे तक घटनास्थल के आसपास ही घूमता रहा था।

इस वारदात में बाबा सिद्दीकी को तीन गोलियां लगी थी यह तीनों ही गोलियां शिव कुमार ने चलाई थी। इसके बाद शिव कुमार ने पिस्टल फेंककर टीशर्ट बदल ली थी और घटनास्थल के आसपास ही घूमता रहा, जबकि उसके दो साथी मौके पर ही पकड़े गए थे।

इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद बॉलीवुड और मुंबई में दहशत फैलाकर बड़े पैमाने पर गुंडा टैक्स वसूली था। जानकारी के मुताबिक, स्नैप चैट पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की साजिश रचने के दौरान शिव कुमार से कहा था कि अगर बाबा सिद्दीकी न मिले तो उसके बेटे जीशान सिद्दीकी को ही उड़ा देना। एसटीएफ व मुंबई स्पेशल क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शिव कुमार ने ये बातें बताई हैं। मुंबई पुलिस शिव कुमार समेत रविवार को पकड़े गए पांचों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है।

हत्याकांड से पहले शिव कुमार और अन्य लोगों को 15 से 20 हजार रुपये मिले थे। शूटर्स को हत्याकांड के बाद सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करने के निर्देश थे। फरारी के दौरान शिव कुमार ने अपने हैंडलर्स और गैंग के अन्य लोगों से इंस्टाग्राम के जरिए ही संपर्क किया। यह भी तय हुआ था कि सुपारी की रकम के भुगतान की पहली किस्त उज्जैन के महाकाल मंदिर में दी जानी थी। दूसरी किस्त का भुगतान वैष्णो देवी में होना था। लेकिन, वारदात के बाद धर्मराज और गुरमेल के पकड़े जाने से पूरी योजना फेल हो गई।

शिव कुमार ने फरार होने के बाद नेपाल के शमशेरगंज स्थित एक गौशाला में रुकने की व्यवस्था की थी। एसटीएफ द्वारा शिव कुमार के साथ गिरफ्तार किए गए उसके चारों साथी अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जुलाई 2024 में मोहर्रम के दिन एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किशोरी की मां की तरफ से पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया था। बाद में चारों जमानत पर बाहर आ गए।

मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम को भारत-नेपाल सीमा के बहराइच जिले से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और पुलिस को शिव कुमार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं मिला है।